



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 आषाढ़ 1944 (श10)
(सं० पटना 511) पटना, शुक्रवार, 15 जुलाई 2022

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना
15 जुलाई 2022

अधिसूचना संख्या 07/2022-राज्य कर (दर)

एस० ओ० 110, दिनांक 15 जुलाई 2022— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम - 12, 2017) की धारा, 11 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, वाणिज्य - कर विभाग की अधिसूचना संख्या 02/2017-राज्य-कर (दर) दिनांक 29 जून, 2017 जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 545, दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा:-

(क) अनुसूची में, -

- (i) क्रम संख्या 9 और 22 के समक्ष, कॉलम (3) में “जिन्हे किसी यूनिट कंटेनर” शब्दों से प्रारंभ होने वाले और “परित्याग कर दिया गया हो]” से अंत होने वाले शब्दों के स्थान पर “जिन्हे प्री-पेकेज्ड और लेबल किया गया हो” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 26 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “दही, लस्सी, छाछ, उनसे भिन्न, जिन्हे प्री-पेकेज्ड और लेबल किया गया हो” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

- (iii) क्रम संख्या 27, 29, 30ख, 45, 46क के समक्ष, कॉलम (3) में, “जिन्हे किसी यूनिट कंटेनर” शब्दों से प्रारंभ होने वाले और “परित्याग कर दिया गया हो” से अंत होने वाले शब्दों के स्थान पर “जिन्हे प्री-पेकेज्ड और लेबल किया गया हो” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iv) क्रम संख्या 46ख के समक्ष, कॉलम (3) में “जिन्हे किसी यूनिट कंटेनर” शब्दों से प्रारंभ होने वाले और “परित्याग कर दिया गया हो” से अंत होने वाले शब्दों के स्थान पर “जिन्हे प्री-पेकेज्ड और लेबल किया गया हो” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (v) क्रम संख्या 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 और 75 के समक्ष, कॉलम (3) में, “जिन्हे किसी यूनिट कंटेनर” शब्दों से प्रारंभ होने वाले और “परित्याग कर दिया गया हो” से अंत होने वाले शब्दों के स्थान पर “जिन्हे प्री-पेकेज्ड और लेबल किया गया हो” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (vi) क्रम संख्या 77 और 78 के समक्ष, कॉलम (3) में, “जिन्हे किसी यूनिट कंटेनर” शब्दों से प्रारंभ होने वाले और “परित्याग कर दिया गया हो” से अंत होने वाले शब्दों के स्थान पर “जिन्हे प्री-पेकेज्ड और लेबल किया गया हो” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (vii) क्रम संख्या 94 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि
 - “(i) सभी प्रकार के गुड, जिसमें गन्ने से प्राप्त होने वाले गुड (सामान्य गुड), पलमेरा गुड भी आते हैं उनसे भिन्न, जिन्हे प्री-पेकेज्ड और लेबल किया गया हो;
 - (ii) खांडसारी चीनी उनसे भिन्न, जिन्हे प्री-पेकेज्ड और लेबल किया गया हो” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (viii) क्रम संख्या 95 के समक्ष, कॉलम (3) में, शब्द “मुर्कीके नाम से ज्ञात है” के पश्चात शब्द “उनसे भिन्न, जिन्हे प्री-पेकेज्ड और लेबल किया गया हो” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ix) क्रम संख्या 97क के समक्ष, कॉलम (3) में, “यूनिट कंटेनर” शब्दों से प्रारंभ होने वाले और “परित्याग कर दिया गया हो” से अंत होने वाले शब्दों के स्थान पर “उनसे भिन्न, जिन्हे प्री-पेकेज्ड और लेबल किया गया हो” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (x) क्रम संख्या 99 के समक्ष, कॉलम (3) में, शब्द “शुद्धीकृत” को निरसित किया जाएगा;
- (xi) क्रम संख्या 108 के समक्ष, कॉलम (3) में “जिन्हे किसी यूनिट कंटेनर” शब्दों से प्रारंभ होने वाले और “परित्याग कर दिया गया हो” से अंत होने वाले शब्दों के स्थान पर “जिन्हे प्री-पेकेज्ड और लेबल किया गया हो” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xiii) क्रम संख्या 118 और 122 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;
- (xiv) क्रम संख्या 132क के समक्ष, कॉलम (3) में, “जो यूनिट कंटेनर” शब्दों से प्रारंभ होने वाले और “परित्याग कर दिया गया हो” से अंत होने वाले शब्दों के स्थान पर “जिन्हे प्री-पेकेज्ड और लेबल किया गया हो” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xv) क्रम संख्या 141 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(ख) अनुसूची के पश्चात, स्पष्टीकरण में, खंड (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(ii) ‘प्री-पैकेज्ड और लेबल’ वाक्यांश का अर्थ ‘प्री-पैकेज्ड कमोडिटी’ है जिसे विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 2 के उपधारा (1) में परिभाषित किया गया है, जहां विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2009 का 1) और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसरण में किये गये पैकेज जिसमें माल पहले से पैक किया गया है या उस पर सुरक्षित रूप से लेबल चिपका हुआ है”

2. यह अधिसूचना 18 जुलाई, 2022 से लागू होगी।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-14) 07)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

15 जुलाई 2022

एस० ओ० 110, दिनांक 15 जुलाई 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-14) 07)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 15th July 2022

Notification No. 07/2022– State Tax (Rate)

S.O.110, Dated 15th July 2022— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12, 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Commercial Taxes Department notification No. 02/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 545, dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification,

(A) in the Schedule, -

- (i) against S. Nos. 9 and 22, in column (3), for the portion beginning with the words “other than those put up in” and ending with the words “conditions as in the ANNEXURE I]”, the words “, other than pre-packaged and labelled” shall be substituted;
- (ii) against S. No. 26, for the entry in column (3), the entry “Curd, Lassi, Butter milk, other than pre-packaged and labelled” shall be substituted;
- (iii) against S. Nos. 27, 29, 30B, 45, 46A, in column (3), for the portion beginning with the words “other than those put up in” and ending with the words “conditions as in the ANNEXURE I]”, the words “, other than pre-packaged and labelled” shall be substituted;
- (iv) against S. No. 46B, in column (3), for the portion beginning with the words “[other than those” and ending with the words “conditions as in the ANNEXURE I]”, the words “, other than pre-packaged and labelled” shall be substituted;

- (v) against S. Nos. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 and 75, in column (3), for the portion beginning with “[other than those” and ending with the words “conditions as in the ANNEXURE I]”, the words “, other than pre-packaged and labelled” shall be substituted;
- (vi) against S. Nos. 77 and 78, in column (3), for the portion beginning with the words “[other than those” and ending with the words “conditions as in the ANNEXURE I]”, the words “, other than pre-packaged and labelled” shall be substituted;
- (vii) against S. No. 94, for the entry in column (3), the entry “(i) Jaggery of all types including Cane Jaggery (gur), Palmyra Jaggery, other than pre-packaged and labelled.; (ii) Khandsari Sugar, other than pre-packaged and labelled” shall be substituted;
- (viii) against S. No. 95, in column (3), after the word “Murki”, the words and symbols “, other than pre-packaged and labelled” shall be inserted;
- (ix) against S. No. 97A, in column (3), for the portion beginning with the words “other than those put up” and ending with the words “as specified in the ANNEXURE I]”, the words “, other than pre-packaged and labelled” shall be substituted;
- (x) against S. No. 99, in column (3), the word “purified, ” shall be omitted;
- (xi) against S. No. 108, in column (3), for the portion beginning with the words “[other than those” and ending with the words “conditions as in the ANNEXURE I]”, the words “, other than pre-packaged and labelled” shall be substituted;
- (xiii) S. Nos. 118 and 122 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (xiv) against S. No. 132A, in column (3), for the portion beginning with the words “other than those put up” and ending with the words “as in the ANNEXURE I]”, the words “, other than pre-packaged and labelled” shall be substituted;
- (xv) S. No. 141 and the entries relating thereto shall be omitted;

(B) after the Schedule, in the Explanation, for clause (ii), the following clause shall be substituted, namely:-

- “(ii) The expression ‘pre-packaged and labelled’ means a ‘pre-packaged commodity’ as defined in clauses (l) of section 2 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) where, the package in which the commodity is pre-packed or a label securely affixed thereto is required to bear the declarations under the provisions of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and the rules made there under.”.

2. This notification shall come into force on the 18th day of July, 2022.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-14) 07)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 511-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>